2025/41

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर

भरतलाल बनाम श्रीकांत वगै0

किस्म मुकदमा 225 आर टी एक्ट............अपील संख्या 01/2025

GCMS NO 2025/------

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7.01.2025	अपील श्री सतीश कुमार शर्मा अधिवक्ता ने पेश की। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलांट अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय सुना गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.10.2023 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी/रेस्पो0 की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर विवादित आराजीयात की प्रार्थी के नोशनल शेयर मे आने वाली भूमि के हक तथा हिस्से तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाने के आदेश पारित कर अप्रार्थीगण/अपीलांट की तलबी जरिये रजिस्टर्ड किये जाने के आदेश दिये गये। इसके पश्चात लगातार 12.12.2023 से प्रकरण मे प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा अप्रार्थीगण/अपीलांट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन पेश नही किये गये है। इस प्रकार प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा सीपीसी के प्रावधानो के अनुसार आदेश 39 नियम 3 की पालना नही की गई है। जो न्यायालय के आदेश की अवहेलना की श्रेणी मे आता है। अतःआदेश है कि अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास द्वारा प्रकरण संख्या 53/23 मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक 26.10.2023 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलांट से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जबाब प्राप्त कर प्रार्थना पत्र की तीनो बिन्दुओ प्राईमाफेसी केस,सुविधा का संतुलन पर विवेचन कर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि [illegible] अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायाल[illegible] विच[illegible]न प्रकरण मे अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना [illegible] सुनिश्चित करे। पत्रावली [illegible] होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner